झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान-सभा

दशम्-सत्र

वर्ग-01

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक- 12 अग्रहायण, 1934 (श॰) / 03 दिसम्बर, 2012 (ई॰) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश पत्र पर अंकित रहेंगे :-

विभागों को भेजी गई सं॰स॰	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
02॰	03॰	04॰	05॰	06॰
अ0सू0-13	श्री दीपक बिरूवा	श्री लागुरी को नौकरी देना	गृह विभाग	29॰ 11॰ 12
अ0सू0-04	श्रीमती गीताश्री उराँव	नौकरी तथा मुआवजा देना	गृह विभाग	27॰ 11॰ 12
अ0सू0-09	श्री अरविन्द कु0सिंह	श्री अम्बुज के विरूद्ध कार्रवाई	गृह विभाग	29॰ 11॰ 12
अ0सू0-08	श्री प्रदीप यादव	वित्तीय अधिकार देना	विधि	29॰ 11॰ 12
अ0सू0-02	श्रीमती गीता कोड़ा	कृषि ऋण उपलब्ध कराना	सांस्थिक वित्त	27॰ 11॰ 12
अ0सू0-06	श्री बंधु तिर्की	अधिसूचना रद्द करना	गृह	27॰ 11॰ 12
अ0सू0-05	श्री जनार्दन पासवान	मुआवजा एवं नौकरी देना	गृह	27॰ 11॰ 12
अ0सू0-03	श्रीमती गीताश्री उराँव	राशि खर्च करना	वित्त	27॰ 11॰ 12
अ0सू0-14	श्री मिस्त्री सोरेन	सूचीबद्ध जानकारी देना	गृह	29॰ 11॰ 12

* अ॰सू॰-8 विधि (न्याय) विभाग के पत्रांक-3552, दिनांक-29/11/12 द्वारा कल्याण विभाग में स्थानान्तरित।

(कु0पृ030)-

01.	02.	03.	04.	05.	06.
10.	अ0सू0-12	श्री बन्ना गुप्ता	जुवेनाइल पुलिस युनिट का गठन	गृह विभाग	29.11.12
11.	अ0सू0-10	श्री अमित कुमार यादव	सुविधा उपलब्ध कराना	मंत्रिमण्डल सचिवालय	29.11.12
12.	अ0सू0-11	श्री बन्ना गुप्ता	पेंशन विवाद सुलझाना	वित्त	29.11.12
13.	अ0सू0-07	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी	रिक्त पदों पर नियुक्ति	गृह	29.11.12
14.	अ0सू0-01	श्री बंधु तिर्की	पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई	वित्त	29.11.12

रॉंची

दिनांक- 03 दिसम्बर,2012 ई0 ।

समरेन्द्र कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची ।

ज्ञापांक-झा0वि0स0 (प्रश्न)-03/07- 3493 /वि0स0,रॉंची,दिनांक- 01 दिसम्बर,2012ई0

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान-सभा के सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ उप मुख्यमंत्रीगण/ अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

01.12.12

(नन्दलाल प्रसाद)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची ।

ज्ञापांक-झा0वि0स0 (प्रश्न)-03/07- 3493 /वि0स0,रॉंची,दिनांक- 01 दिसम्बर,12ई0।

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय एवं उप सचिव (प्रश्न) के संयुक्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

01.12.12

(नन्दलाल प्रसाद)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,रॉंची ।

01/12/12

हाडुर/.

(2)

श्रीमती गीताश्री उरांव, स०वि०स० के द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं0–04 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गुमला जिला के कामडारा प्रखण्ड के रेड़वा में सेवा निवृत्त फौजी जूलियस केरकेट्टा को 25 फरवरी, 2012 को उग्रवादियों द्वारा बर्बर हत्या कर दी गयी थी ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि कामहारा थाना कांड सं०–20/12, दिनांक–26.04.2012 की अब तक कोई कार्रवाई नही की गयी है ;	कांड अनुसंधानान्तर्गत है।
3	क्या यह बात सही है कि मृतक के आश्रितों को अब तक नौकरी व मुआवजा नही मिला है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डो का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त हत्या कांड की जांच कर मृतक के आश्रितों को नौकरी तथा मुआवजा देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, गुमला से प्रस्ताव प्राप्त नही है। प्रस्ताव प्राप्त होते ही स्वीकृति दी जायगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–12/वि०स०प्र०(26)–24/2012 5320 / राँची, दिनांक–01/12/2012 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/12/12

सरकार के उप सचिव।

(5)

झारखण्ड सरकार

सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

श्रीमति गीता कोड़ा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछे जाने वाले अल्पसुचित प्रश्न संख्या- 02 का उत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि , राज्य सरकार ने राज्य स्तीरय बैंकर्स समिति की बैठक में राष्ट्रीय एवं ग्रामीण बैंकों को 31 मार्च 2012 तक 738 गाँव में बैंक खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसमें 159 गाँव में हीं किया जा सका है ?	भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के निर्देशानुसार झारखंड में 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 1541 ऐसे गाँवों में जहाँ बैंक शाखा नहीं है, 31.03.2012 तक बैंकिग सुविधा (बैंक पुर्ण शाखा / सेटेलाइट शाखा / मोबाईल बैंकिग वैन / बैंकिग कारेसपोन्डेन्ट (BC)) उपलब्ध कराने का लक्ष्य था जो 31.03.2012 तक शत प्रतिशत पुरा हो गया है ।
2	क्या यह बात सही है कि गाँव में बैंक नहीं होने से तथा बैंकों के द्वारा ऋण देने में रूची नहीं लेने के कारण किसानों को ऋण मिलने में काफी कठिनाई हो रही है ?	वर्त्तमान में ऐसे किसी विनिर्दिष्ट (specific) मामले की शिकायत प्राप्त नहीं है ।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य के राष्ट्रीय एवं ग्रामीण बैंकों के द्वारा 31 दिसम्बर 2011 तक कृर्षि क्षेत्र सी0डी0 अनुपात का 10% कृषि ऋण किसानों को दिया गया है ?	उत्तर स्वीकारात्मक है (कृषि ऋण का योगदान दिसम्बर 2011 में कुल ऋण का 10.86% था)
4	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के किसानों को कृषि ऋण अधिक से अधिक देने तथा गाँवों में बैंक खोलने के लिये दी गई लक्ष्य प्राप्ति में स्थिलता बरतने वाले बैंकों पर कार्रवाई करना चाहती है हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार ने SLBC के माध्यम से सभी बैंकों को यह निदेश दिया है कि मार्च 2013 तक कृषि ऋण राष्ट्रीय मानक, कुल ऋण का 18% तक करना अवश्य सुनिश्चित किया जाय । बैंक शाखा / बैंकिग सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में पूर्व लक्ष्य पूरा कर लिया गया है ।

ज्ञापांक: 993 /राँची, दिनांक 30/11/12 /

प्रतिलिपि- अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को 200 प्रतियों में उनके ज्ञाप संख्या 3307 दिनांक 27.11.2012 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(एफ0 आर0 बोखारी) 30/11/2012

विशेष कार्य पदाधिकारी- II ।

bidhan Sabha

(6)

श्री बंधु तिर्की, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं0–06 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना वर्ष 1999 में गृह विशेष विभाग, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक–1005, दिनांक–02.11.1999 द्वारा जारी की गयी जो 2002 तक प्रभावी है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि स्थानीय आबादी नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना के विरोद्ध में है, जिसके फलस्वरूप वहॉ पर किसी तरह का गोली बारी अभ्यास नही किया गया ;	उत्तर स्वीकारात्मक है। स्थानीय आवादी के विरोध के कारण वर्ष 1993 से ही नेतरहाट फिल्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास नही किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि अधिसूचना के प्रभावी रहने के कारण गुमला जिला एवं नेतरहाट क्षेत्र की आबादी विस्थापन से विकास कार्य बाधित है ;	अस्वीकारात्मक
4	यदि उपर्युक्त खण्डो का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गृह विशेष विभाग, बिहार, पटना द्वारा जारी की गयी अधिसूचना 1005, दिनांक–02.11.1999 को रद्द करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बिहार सरकार के अधिसूचना को रद्द करने के लिए झारखण्ड सरकार सक्षम नही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–12 / वि०स०प्र०(26)–25 / 2012 5329 राँची, दिनांक–01 / 12 / 2012 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/12/12

सरकार के उप सचिव।

(7)

श्री जनार्दन पासवान, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं0–05 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के हंटरगंज प्रखण्ड में दिनांक–07.11.2010 को ग्राम धोवे के रघुनाथ यादव एवं ग्राम गोवरडीह के टक्कु यादव की हत्या उग्रवादी द्वारा की गई थी ;	स्वीकारात्मक है।
2	यदि उपर्युक्त खण्डो का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर वर्णित प्रभावित परिवार को सरकारी मुआवजा एवं नौकरी देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, चतरा से प्रस्ताव अप्राप्त है। उपायुक्त, चतरा से प्रस्ताव प्राप्त होते ही नियमानुसार अनुग्रह–अनुदान एवं नौकरी हेतु स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–12 / वि०स०प्र०(26)–23 / 2012 5321 / राँची, दिनांक–01 / 12 / 2012 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/12/12

सरकार के उप सचिव।

(8)

श्रीमती गीताश्री उराँव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–3 का उत्तर सामग्रीः–

क0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य का योजना बजट 16300.00 करोड़ रू0 का है ?	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में माह अक्टुबर, 2012 तक स्वीकृत्यादेश 13920.00 करोड़ रू0 में 6439.00 करोड़ रू0 का आवंटन आदेश दिया गया है ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। चालू वित्तीय वर्ष में माह अक्टुबर, 2012 तक विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विभागों द्वारा 14049.98 करोड़ रू0 का स्वीकृत्यादेश एवं 6557.45 करोड़ रू0 का आवंटन आदेश निर्गत किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि योजना बजट स्वीकृत्यादेश एवं आवंटन आदेश के आलोक में खर्च सिर्फ 3356.00 करोड़ रू0 ही किया गया है जो कुल राशि का मात्र 20% है ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार माह अक्टुबर, 2012 तक कुल 3553.60 करोड़ रू0 व्यय किया गया है जो कुल उद्व्यय का 21.80% है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बचे चार माह में कुल राशि का 80% राशि के खर्च के औचित्य बताने का विचार रखती है ?	वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक माहों में योजना का सूत्रण, प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति की कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ बर्षा के कारण आंशिक कार्य ही सम्पन्न हो पाते हैं। प्रायः वर्ष के अन्त तक विभागों द्वारा योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि प्राप्त कर ली जाती है।

झारखण्ड सरकार
योजना एवं विकास विभाग

ज्ञापांक–1913 रॉची, दिनांक 01.12.2012.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची को उनके ज्ञाप सं0–3306 दिनांक 27.11.2012 के आलोक में 200 (फोटो प्रति) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01/12/2012

सरकार के अवर सचिव

(7)

श्री मिस्त्री सोरेन, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं0–14 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पेनम कोल माइंस, अमड़ापाड़ा (जिला–पाकुड़) में बंदूकधारी निजी सुरक्षा गार्ड कार्यरत है ;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि पेनम कोल माइंस, अमड़ापाड़ा (जिला–पाकुड़) में कार्यरत निजी सुरक्षा कर्मियों को सरकार द्वारा पेनम सुरक्षा कार्य हेतु बंदूक उपलब्ध कराया गया है ;	अस्वीकारात्मक निजी सुरक्षा कर्मियों को सरकार के द्वारा पैनम सुरक्षा कार्य हेतु बन्दुक उपलब्ध नही कराया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किस प्रावधान के अन्तर्गत किन–किन पेनम सुरक्षा कर्मियों को बंदूक उपलब्ध कराया गया है, उसकी सूचीबद्ध जानकारी देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्न ही नही उठता है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–05 / वि०स०(10)–43 / 2012 5589 / राँची, दिनांक–01 / 12 / 2012 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/12/12

सरकार के उप सचिव।

(10)

श्री बन्ना गुप्ता, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं0–12 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के बच्चों के अधिकार एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को स्पेशल जुवेनाइल पुलिस युनिट के गठन का निर्देश दिया है ;	स्वीकारात्मक है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में स्पेशल जुवेनाईल पुलिस युनिट का गठन करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	किशोर न्याय (बालकों की देख रेख) और संरक्षण। नियम 2007 के नियम 84 के अंतर्गत गृह विभाग की अधिसूचना सं०–917, दिनांक–24.02.2012 द्वारा राज्य के सभी 24 जिलों में विशेष किशोर अपराध पुलिस इकाई (Spceial Juvenile Police Unit) गठित कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–7 / वि०स०–22 / 2012...5324/ रॉंची, दिनांक–01/12/2012 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/12/12

सरकार के उप सचिव।

(11)

श्री अमित कुमार यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 3.12.2012 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–10 का उत्तर सामग्री–

क्या मंत्री, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय (संसदीय कार्य) विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड विधान मण्डल के मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक तथा सचेतक को क्रमशः मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, परंतु सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है,	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त अधिनियम में दर्जा स्पष्ट नहीं होने से सचेतकों को निजी स्टाफ की सम्पूर्ण सुविधा (यथा–आप्त सचिव एवं दिनचर्या लिपिक) नहीं मिल रही है,	लागू नहीं।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अधिनियम में दर्जा स्पष्ट करते हुए सचेतक को भी आप्त सचिव एवं दिनचर्या लिपिक की सुविधा देना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सम्प्रति इस तरह का कोई मामला सरकार के स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

ज्ञाप संख्या–5 / मंमंस(वि0कार्य)–107 / 2012 1670 / रांची, दिनांक 01 दिसम्बर, 2012

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके ज्ञाप संख्या–प्र–03439, दिनांक 29.11.2012 के क्रम में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.12.2012

(बी0बी0 श्रीवास्तव)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(12)

श्री बन्ना गुप्ता, स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–11, का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
(1.) क्या यह बात सही है कि बिहार विभाजन के बाद विभाजन के पूर्व अवकाश ग्रहण करने वाले कर्मियों के पेंशन भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु 2584 करोड़ रुपये पेंशन मद में बिहार को अदा करने का निर्देश गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है।	स्वीकारात्मक।
(2.) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार ने 2584 करोड़ रुपये के ब्याज मद में 2371 करोड़ रुपये का दावा किया है।	नकारात्मक। राज्य सरकार को इस विषयक कोई पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
(3.) यदि उपरोत खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पेंशन विवाद को सुलझाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	यह नीतिगत मामला है, इस पर भारत सरकार को निर्णय लेना है।

झारखंड सरकार
वित्त विभाग

ज्ञापांक : वि०प्र०–04 / 2011–295/वि०प्र०   **राँची, दिनांक** 02/12/2012

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची के ज्ञापांक 3438 वि•स•, दिनांक 29.11.2012 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हरदेव नारायण सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछे जानेवाले अ०सू० प्रश्न सं0–07 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में चार सौ चौतीस थानों में से चार सौ थानों में वायरलेस ऑपरेटर व सहायक ऑपरेटर नही है, जिससे वितंतु (वायरलेस) विभाग का काम प्रभावित होता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक है। थाना में वितंतु का कार्य थाना स्टाफ द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।
2	क्या यह बात सही है कि वायरलेस विभाग में एस०पी० का एकमात्र पद तथा डी०एस०पी० के कुल छः पद रिक्त पड़े है ;	स्वीकारात्मक है। पुलिस अधीक्षक वायरलेस के पद का कार्य अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यकारी व्यवस्था के तहत सम्पादित किया जा रहा है। पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रिक्त पदो पर बहाली–पदस्थापन करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वायरलेस ऑपरेटर के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–10/विस० – 73/12 /5323 राँची, दिनांक–01/11/2012 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/11/12

सरकार के उप सचिव।

(14)

श्री बंधु तिर्की, स०वि०स० द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–1, का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2001–11 की अवधि में अग्रिम के रूप में ए०सी० बिल द्वारा 11942 करोड़ रुपये की निकासी के विरूद्ध मात्र 6239 करोड़ रुपये के खर्च का ही डी०सी० बिल जमा किया गया।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वर्ष 2001–11 की अवधि में अग्रिम के रूप में ए०सी० बिल द्वारा 11944 करोड़ रुपये की निकासी के विरूद्ध अब तक 6895 करोड़ रुपये के डी०सी० विपत्र जमा कर दिये गये हैं तथा 5049 करोड़ रुपये के डी०सी० विपत्र लंबित है।
(2.) क्या यह बात सही है कि सिर्फ वित्तीय वर्ष 2011–12 में ही 1600 करोड़ रुपये की निकासी अग्रिम के माध्यम से ही गयी, जिसमें मार्च, 2012 में मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा 481 करोड़ रुपये, गृह विभाग द्वारा 95 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 95 करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 57 करोड़ रुपये ए०सी० बिल द्वारा ट्रेजरी से निकाला गया, जिसका डी०सी० बिल अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2011–12 में 1599 करोड़ रुपये की निकासी अग्रिम के रूप में की गयी है, जिसमें मार्च, 2012 माह में मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा 477 करोड़ रुपये, गृह विभाग द्वारा 99 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 96.62 करोड़ रुपये, तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 70.19 करोड़ रुपये की निकासी ए०सी० विपत्रों द्वारा की गई है। इस राशि के विरूद्ध अब तक 973 करोड़ रुपये का डी०सी० विपत्र समर्पित किया गया है तथा 626 करोड़ रुपये का डी०सी० विपत्र लंबित है।
(3.) यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लंबित डी०सी० बिल से संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों?	लंबित डी०सी० विपत्रों को शीध्र जमा कराने हेतु सरकार स्तर पर लगातार सार्थक प्रयास जारी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी विभागीय सचिवों के साथ लगातार बैठके आयोजित की जा रही है जिसमें लंबित डी०सी० विपत्रों को शीध्रताशीध्र समर्पित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। अन्तिम बैठक 17.09.2012 को सम्पन्न हुई है।

झारखंड सरकार
वित्त विभाग

ज्ञापांक : वित्त–5 / पें॰(4)–25 / 2012........294/वि॰   राँची, दिनांक 02/12/2012

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची के ज्ञापांक 3305 वि॰स॰, दिनांक 27.11.2012 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हरदेव नारायण सिंह)